भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2140
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2024
14 श्रावण, 1946 (शक)

एथलीटों को वित्तीय सहायता

2140. श्री विजय कुमार दूबे:
श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एथलीटों को खेलों में अपना कैरियर बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एथलीटों के लिए उनके कैरियर के दौरान और उनके कैरियर के बाद सहायता के क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं चालू हैं या प्रस्तावित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): जी हां, सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके खिलाड़ियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है:

I. खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक के तहत, खेल इंडिया स्कीम के अंतर्गत चिन्हित प्रतिभाओं को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए 6.28 लाख रुपये प्रति वर्ष [आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (ओपीए) के रूप में 1.20 लाख रुपये सहित] की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के खेलो इंडिया केन्द्र शीर्ष के तहत, पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए) को खेलो इंडिया केन्द्रों (केआईसी) में युवा एथलीटों के कोच/मेंटोर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो इन एथलीटों को प्रशिक्षित करते हैं और साथ ही स्वायत्त तरीके से या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खेल विभाग के सहयोग से केआईसी का संचालन करते हैं। अब तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1059 खेलो इंडिया केंद्रों में 918 पीसीए नियुक्त किए जा चुके हैं।

II. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के तहत, सरकार भारत के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करती है। चयनित एथलीटों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) से व्यक्तिविशिष्ट प्रशिक्षण और अन्य सहायता के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जाता है जो मंत्रालय की सामान्य स्कीमों के तहत उपलब्ध नहीं होते हैं। कोर ग्रुप एथलीटों को 50,000/- रु. प्रति माह आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) का

भुगतान किया जाता है । ओपीए के अतिरिक्त, खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण योजना के लिए मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) द्वारा यथा विचारित और अनुमोदित पूरे व्यय को टीओपीएस के तहत पूरा किया जाता है । वर्तमान में, इस स्कीम के अंतर्गत 174 व्यक्तिगत एथलीटों और 2 हॉकी टीमों (पुरुष और महिला) को कोर ग्रुप के रूप में चुना गया है। इसके अलावा, विकास ग्रूप के तहत भारत की ओलंपिक तैयारी के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 134 सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं की पहचान पूरी हो चुकी है। टीओपीएस विकास ग्रूप के एथलीट को 25,000 रुपये का ओपीए मिलता है।

III. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती हैं, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी कोच/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी अपेक्षित सहायता शामिल है।

IV. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि (पीडीयूएनडब्ल्यूएफएस) स्कीम के अंतर्गत सरकार, प्रशिक्षण, खेल उपकरणों की खरीद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी आदि के लिए आर्थिक बदहाली में रह रहे खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (2.50 लाख रुपये तक) प्रदान करती है।

V. सरकार सक्रिय खेलों से संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित मासिक आय प्रदान करना है। मौजूदा स्कीम के तहत पात्र पूर्व खिलाड़ियों को 12,000/- से 20,000/- रुपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

VI. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को नकद पुरस्कार स्कीम के तहत, सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने तथा युवा पीढ़ी को खेलों में भाग लेने के लिए एक आदर्श बनकर उन्हें प्रेरित करने के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20,000/- रुपये से लेकर 75,00,000/- रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

VII. उपरोक्त स्कीमों के अलावा, सरकार हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले एथलीटों/खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान करती है।

*****